

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 26/2025

जी.सी.एम.एस. सं. 2025/106

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

श्री जयन्तिलाल भट्ट पिता श्री
उम्मेदराम भट्ट मु.पो. बडौदिया तह.
बागीदौरा जिला बांसवाड़ा मो.नं.
9784454380

बनाम

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय


अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 16-07-2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 06-05-2025 पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 02-07-2025 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 15-07-2025 को प्रत्यर्थी तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त आवंटन भू प्रबन्ध रेकार्ड प्राप्त होने से पूर्व का है। आवंटन सम्बन्धित उक्त रेकार्ड जिला भू अभिलेखाकार में जमा कराया जा चुका है। अतः आवंटन संबंधित उक्त रेकार्ड इस कार्यालय में नही होने की सूचना कार्यालय के पत्रांक भूअ/ 2025/ 798 दिनांक 13.06.2025 से अपीलार्थी को दी गई है। अपील निरस्त कराने का फैसला करावे।


लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ, अपीलार्थी अनुपस्थित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 06-05-2025 से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई है कि "राजस्व गांव बडौदिया तहसील बागीदौरा मे पूर्व सर्वे नं. 899 तालाब भूमि में आवंटन होकर नया सर्वे नं. 2351/899 किस कृषक के नाम आवंटन हुआ तथा किस वर्ष में हुआ तथा राज्य सरकार के किस आदेश या सर्कूलर से हुआ समस्त सूचनाएं उपलब्ध करावे।" तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा के जवाब अनुसार आवंटन सम्बन्धित उक्त रेकार्ड जिला भू अभिलेखाकार में जमा कराया जा चुका है। अतः आवंटन संबंधित उक्त रेकार्ड इस कार्यालय में नही होने की सूचना कार्यालय के पत्रांक भूअ/ 2025/ 798 दिनांक 13.06.2025 से अपीलार्थी को दी गई है।


यदि उक्त सूचना जिला भू अभिलेखाकार से सम्बन्धित है तो रेस्पोंडेंट तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा को प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन को इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को उक्त आवेदन स्थानांतरित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया जाना था, जो कि रेस्पोंडेंट तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा द्वारा नही किया गया है। जो अत्यंत खेदजनक है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जावे।


लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बांसवाडा (राज.)

प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, आदेश/विशिष्टि (विवरण) रहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. इन्द्रजीत यादव) IAS.
जिला कलक्टर, बासवा (राज.)